>

Title: Need to accord priority to the recommendations of the MP in the allocation of residential accommodation under Indira Awas Yojana in Sultanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): महोदय, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा आवास योजना है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी है और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं अपने क्षेत्र सुल्तानपुर के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो भी मानदंड इसके लिए बनाए गए हैं, हमारे यहां अक्सर उन मानदंडों को नज़रअंदाज करके कार्यवाही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपने घर हैं और फिर भी उन्हें इंदिरा आवास मिल जाता है और जिनके पास कोई घर नहीं है, उन्हें इंदिरा आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भी अगर लिखते हैं, तो न कोई उत्तर मिलता है और न कोई कारण बताया जाता है कि इंदिरा आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे क्षेत्र में लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक गोमती नदी बहती है और गोमती के किनारे भी हजारों परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन्हें भी कोई लाभ कई सालों से नहीं मिल रहा है। इस योजना में तीन परसेंट विकलांगों को और पन्द्रह परसेंट अल्प संख्यकों को भी आवास मिलने का प्रावधान है, लेकिन पिछले पांच-दस सालों से इन विकलांगों को और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इंदिरा आवास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

13.59 hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया केंद्र और राज्य के डिस्प्यूट की कोई बात न करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिल सके और किसी डिस्प्यूट से हटकर इस लाभकारी योजना का अच्छी तरफ से लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकलांग और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों और करोड़ों परिवार इस प्रदेश में हैं, उन सब के बारे में इस कोटे का अच्छी तरह से पालन हो रहा है, इसे सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय सिंह और श्री दारा सिंह चौहान अपने को डॉ. संजय सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।